कार्यालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक

(श्री दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या – 160/2022 निर्णय दिनांक :–29.04.2024

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

मंदिर देवजी जरिये पुजारी भैरूलाल पुत्र सुखलाल जाति गुर्जर निवासी देवीखेड़ा तहसील देवली जिला टोंक राज0 –प्रार्थी–

बनाम

तहसीलदार महोदय देवली जिला टोक राज0 –अप्रार्थी–

उपस्थितः–
श्री सुनिल कुमार शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थी

तहसीलदार देवली

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 128 राज0 एक्ट बाबत किये जाने पत्थरगढी लेण्ड रेवेन्यू

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 87 खसरा नम्बर 55 रकबा 1.39 है0 वाके ग्राम कुशालपुरा पटवार हल्का राजमहल द्वितिय तहसील देवली जिला टोंक राज0 मे स्थित है। उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में मंदिर देवजी के नाम खातेदारी मे दर्ज है। प्रार्थी ने पूर्व मे उक्त भूमि की नाप चोप करवायी थी जिसके सीमा चिन्ह मिट चुके है तथा सीमाएं अस्पष्ट हो गई है जिसके कारण मोके पर प्रार्थी एवं अड़ोस पड़ोस के खातेदारो के मध्य सीमा एवं कब्जे को लेकर गंभीर विवाद होने की संभावना उत्पन्न हो गई है। प्रार्थी की उक्त आराजी भूमि बाबत उत्पन्न होने वाले विवाद को समाप्त करने के लिये उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाया जाना नितान्त आवश्यक है। यदि उक्त भूमि की पत्थरगढी नही करवायी गयी तो मोके पर गंभीर विवाद होगा, लडाई झगडा होगा तथा अनावश्यक रूप से मुकदमे बाजी बढेगी। उक्त भूमि बाबत कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन नही है और किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश भी न्यायालय से जारी नही है। प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढी का शुल्क जमा कराने को तैयार है। प्रार्थी की आराजी भूमि श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 87 खसरा नम्बर 55 रकबा 1.39 है0 वाके ग्राम कुशालपुरा पटवार हल्का राजमहल द्वितिय तहसील देवली

जिला टोंक राज0 की पत्थरगढी किये जाने हेतु श्रीमान तहसीलदार महोदय, देवली को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी तहसीलदार देवली की ओर से जवाब/रिपोर्ट पेश की गई जो इस प्रकार हैः— हां, उक्त आराजी मन्दिर देवली वाके देह देईखेडा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है एवं कब्जा काश्त है। आवेदक का अन्य पड़ोसी खातेदार से सीमा विवाद नहीं है। आवेदक का जिन खातेदारों से विवाद है, उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है। उनको पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। उक्त आराजी के सम्बन्ध में किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है। आवेदकगण की खातेदारी भूमि की सीमाओं पर अतिक्रमित सरकारी भूमि नहीं है। उक्त भूमि का पूर्व में सीमाज्ञान नहीं करवाया है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रा. पत्र के तथ्यो को ही दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

तहसीलदार ने बहस में जवाब को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी वाके ग्राम देईखेड़ तहसील देवली मन्दिर देवजी की खातेदारी की भूमि है। मन्दिर देवजी नाबालिग मूर्ति है। प्रार्थी ने किस हैसियत से प्रार्थना पत्र किया है, इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः पुजारी मन्दिर की भूमि नियमानुसार पत्थरगढी का अधिकार नहीं रखता है।

आदेश

पुजारी का मन्दिर की भूमि पर नियमानुसार अधिकारी नहीं होने से प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। तहसीलदार देवली को आदेशित किया जाता है कि जमाबन्दी सम्वत 2072—75 भूमि खाता संख्या 87 खसरा नम्बर 55 रकबा 1.39 है0 वाके ग्राम कुशालपुरा पटवार हल्का राजमहल द्वितिय तहसील देवली जिला टोंक की भूमि का सीमाज्ञान करे। यदि विवादित आराजी पर अतिक्रमण पाया जावे तो नियमानुसार अतिक्रमित के विरूद्ध कार्यवाही अमल में लावे।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 29.04.2024 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली